# लघु सिंचाई विभाग

## विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की संक्षिप्त टिप्पणी।

### 1– मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (जिला योजना)

**(अ) उथले नलकूप**

यह विभाग की फ्लैगशिप स्कीम है जो 1985 से संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु उन्हें सिंचाई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। योजना में 110 एम.एम. (4") व्यास पी. वी.सी. पाइप से 30 मी0 गहराई तक के उथले नलकूपों का निर्माण कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान में निम्नानुसार अनुदान अनुमन्य है–

| क्र. सं. | कृषक की श्रेणी | बोरिंग पर | पम्पसेट पर | कुल अनुदान |
|---|---|---|---|---|
| 1– | सामान्य श्रेणी के लघु कृषक (2.5 एकड़ से अधिक 5.00 एकड़ तक) | रू. 5000/– प्रति बोरिंग | रू. 4,500/– प्रति पम्पसेट | रू. 9,500/– |
| 2– | सामान्य श्रेणी के सीमान्त कृषक (0 से 2.5 एकड़ तक) | रू. 7000/– प्रति बोरिंग | रू. 6,000/– प्रति पम्पसेट | रू. 13,000/– |
| 3– | अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषक | रू. 10,000/– प्रति बोरिंग | रू. 9,000/– प्रति पम्पसेट | रू. 19,000/– |

**(ब) मध्यम गहरे नलकूप**

प्रदेश के 31 से 60 मीटर गहराई वाले जलग्राही क्षेत्रों में मध्यम गहरे नलकूप निर्माण की योजना वर्ष 2004–05 से क्रियान्वित की जा रही है। योजना में सभी जाति/श्रेणी के कृषक पात्र हैं। योजनान्तर्गत नलकूप की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 75,000.00 अनुदान अनुमन्य है, जिसमें बोरिंग/ड्रिलिंग, पम्पसेट, एसेम्बली (बोरिंग में प्रयुक्त पाइप) पम्प हाउस, ऊर्जीकरण इत्यादि का व्यय सम्मिलित है। जल वितरण प्रणाली हेतु भूमिगत पाइप लाइन/पक्की नाली निर्माण, एच0डी0पी0ई0 पाइप हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 10,000.00 की अतिरिक्त अनुदान कृषकों को अनुमन्य है। इस प्रकार जल वितरण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 85,000.00 का कुल अनुदान अनुमन्य है। योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या के समाधान हेतु उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की प्रचलित दर पर प्रति नलकूप 0.68 लाख अथवा जो भी कम हो, अनुमन्य हैं। इस प्रकार कुल रू. 1.53 लाख का अनुदान अनुमन्य है।

**(स) गहरे नलकूप**

प्रदेश के बुन्देलखण्ड के पठारी क्षेत्रों में जहाँ पर हैण्ड बोरिंग सेट के द्वारा नलकूप निर्माण सम्भव नहीं था वहाँ वर्ष 1982–83 से गहरी बोरिंग योजना प्रारम्भ की गई एवं तत्पश्चात आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 1998 से सम्पूर्ण प्रदेश के कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार किया गया। इस योजना में सभी श्रेणी के

कृषक पात्र हैं। योजनान्तर्गत अधिकतम रू. 1,00,000.00 अनुदान दिया जाता है, जिसमें ऊर्जीकरण का व्यय सम्मिलित है।

योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या के समाधान हेतु उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की प्रचलित दर पर प्रति नलकूप 0.68 लाख अथवा जो भी कम हो, अनुमन्य है। यह धनराशि नलकूप का छिद्रण हो जाने के पश्चात नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जायेगी। इसके फलस्वरूप वर्तमान में नलकूप निर्माण हेतु रू0 1.00 लाख का जो अनुमन्य अनुदान है, उसमें बोरिंग/ड्रिलिंग, पम्पसेट, एसेम्बली (बोरिंग में प्रयुक्त पाइप) पम्प हाउस, ऊर्जीकरण इत्यादि की लागत सम्मिलित की जायेगी।

इसके अतिरिक्त जल के अपव्यय को रोकने हेतु जल वितरण प्रणाली की स्थापना के लिए रू. 0.10 लाख का अनुदान अनुमन्य है। इस प्रकार कुल रू. 1.78 लाख का अनुदान अनुमन्य है।

**2– डा0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना (राज्य योजना)**

योजना में निजी सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत दो प्रकार के समूहों का गठन कर (अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक बाहुल्य समूह, सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह) गठन कर सामूहिक नलकूपों का निर्माण किया जाता है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य समूह हेतु रू0 5.00 लाख तथा सामान्य श्रेणी के कृषक समूह हेतु रू. 3.92 लाख का अनुदान अनुमन्य है।

**3– चेकडैम निर्माण (जिला योजना)**

प्रदेश में पठारी क्षेत्रो में वर्षा जल का उपयोग सिंचाई के साथ–साथ भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु विशेष रूप से बुन्देलखण्ड में नालों पर चैकडैम/ चेकडैम कम रपटा बनाकर यह कार्य किये जा रहे हैं। यह सामुदायिक योजनायें हैं। इनका रख–रखाव सम्बन्धित लाभार्थी समूह/ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। चेकडैम निर्माण हेतु जिला योजना, 13वॉं वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान, भारत सरकार की विशेष योजनाओं इत्यादि से धनराशि प्राप्त होती है।

**चेकडैम/चेकडैम कम रपटा के निर्माण से निम्न लाभ प्राप्त हैं–**

- ☞ वर्षा जल का सिंचाई कार्यो में अधिकाधिक उपयोग।
- ☞ भूगर्भ जल रिचार्ज में वृद्धि।
- ☞ नलकूप की तुलना में सस्ती सिंचाई सुविधा
- ☞ ग्रामीणों हेतु आवागमन का विकास।
- ☞ पर्यावरण के सन्तुलन में सहायक।
- ☞ अतिरिक्त रोजगार सृजन।
- ☞ प्रति चैकडेम लगभग 20 हे0 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है।

प्रति चैकडेम लगभग 1 हे0 मी0 जल का रिचॉर्ज प्रति वर्ष होता है।

4– **वर्षा जल संचयन योजनान्तर्गत तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार (राज्य योजना)**

योजना के अन्तर्गत 01 से 05 हे0 तक के तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य अतिदोहित एवं क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत विकासखण्डों में कराया जाता है। कार्य से वर्षा जल का संरक्षण कर भूजल रिचार्ज में वृद्धि की जाती है तथा वर्षा जल का सिंचाई कार्यो में उपयोग किया जाता है।

**5– ब्लास्ट कूप (बुन्देलखण्ड पैकेज एवं PMKSY(HKKP)**

योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य के पठारी क्षेत्रों में 04 से 06 मीटर व्यास के एवं 15 मी0 तक गहरे कूपों का निर्माण किया जाता है।

**6– सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना (राज्य योजना)**

प्रदेश के सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषक समूहों को सौर ऊर्जा चालित पम्पसेट आधारित नलकूपों का निर्माण कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा **''सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल'' नामक नयी योजना** प्रारम्भ की गयी है। सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूवबेल योजना का मूल उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर, पर्यावरण हितैषी (Eco-Friendly) एवं सस्ती सिंचाई सुविधा कृषक समूहों को उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादकता/ आय में वृद्धि किया जाना है।

योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के समूह हेतु केन्द्राशं रू0 0.73 लाख तथा राज्याशं रू0 2.43 लाख कुल रू0 3.16 लाख का अनुदान अनुमन्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के समूह हेतु केन्द्राशं रू0 0.73 लाख तथा राज्याशं रू0 2.99 लाख कुल रू. 3.72 लाख का अनुदान अनुमन्य है।

**7– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी)**

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक ''हर खेत को पानी'' के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 15 जनपदों के ऐसे 38 विकासखण्डों का चयन किया गया है। जो सुरक्षित विकासखण्डों के श्रेणी में आते हैं जहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 750 एम.एम. अथवा उससे अधिक होती है। इस योजना में ऐसे कृषकों को लाभान्वित किया जाना है जो लघु एवं सीमान्त श्रेणी के अन्तर्गत आते है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला कृषकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। इस घटक के अन्तर्गत 60 प्रतिशत अंश भारत सरकार का एवं 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का है।

**8– बुन्देलखण्ड पैकेज :–**

केन्द्र सरकार द्वारा वित पोषित बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत जनपद झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बाँदा, महोबा एवं चित्रकूट में चेकडैम, तालाबों का जीर्णोद्धार एवं नये ब्लास्ट वेल के निर्माण की योजना (जनपद जालौन, हमीरपुर एवं बाँदा को छोड़कर) संचालित है।